बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक– 29/1/2016

संचिका सं०–17/ए 3–15/2014 ....68(17)............ /स्वा०/स्टेटिस्टियन (संविदा) के पद पर चयन हेतु गठित समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित अभ्यर्थियों को स्टेटिस्टियन के गैर संवर्गीय रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर अधिकतम तीन वर्षो तक के लिए अथवा स्टेटिस्टियन के पद पर नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए नियुक्त किया जाता है तथा उनके नाम के सामने अंकित चिकित्सा महाविद्यालय में संविदा के आधार पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है। यह नियुक्ति योगदान की तिथि से प्रभावी होगा।

क्रमांक	नाम एवं पता	कोटि	पदनाम	पदस्थापित चिकित्सा महाविद्यालय का नाम
1	सद्दाम हुसैन, S/0-इजराईल अहमद, बी0एम0एम0 हाउस, रोड नं0–11, नियर–डा0 एजाज अली, भीखना पहाड़ी, पो0–महेन्द्रु, पटना–800006	सामान्य	स्टेटिस्टियन	पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना।
2	श्री कैलाश नारायण ठाकुर, S/0- गौरी कांत ठाकुर, ग्राम+पो0–तमौरिया, थाना–लखनौर, जिला–मधुबनी, बिहार पिन–847410	पि0 वर्ग	स्टेटिस्टियन	दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा।
3	श्री ब्रजेश्वर पाठक, S/0- स्व0 मेघ नाथ पाठक, C/0- श्रीमती पुष्पा पाठक, गौतम बुद्ध मार्ग, बरियातु रोड, राँची, झारखण्ड, पिन–834009	सामान्य	स्टेटिस्टियन	जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर।

D/R.n.k. sinha sir/Adhisuchna

4	रूबी साह, पति–श्री तारकेश्वर प्रसाद गुप्ता, C/0- श्री गोपाल साह, (शिवम् मेडिकल एजेंसी) ग्राम+पो0–विक्रमगंज, जिला–रोहतास, बिहार पिन–802212	पि0 वर्ग म0	स्टेटिस्टियन	वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालंदा।
5	श्री ओम प्रकाश विद्यार्थी, S/0- कामता प्रसाद सिंह, सेक्टर–6, एल0एफ0–76 ब्लॉक–02, बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी, पटना–26	सामान्य	स्टेटिस्टियन	सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया।

2. संविदा पर नव नियुक्त स्टेटिस्टियन को निदेशित किया जाता है कि वे अपने नव पदस्थापित स्थान पर अनिवार्य रूप से तुरत कार्यभार ग्रहण कर सूचित करें।

3. (क) संविदा आधारित मानदेय 41,000/–00 (एकतालीस हजार) रूपये प्रतिमाह भुगतान किया जायेगा, मानदेय की निकासी एवं भुगतान संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य, विभाग से प्राप्त आवंटन के विशेष अदायगी मद से करेगें तथा इसकी सूचना निदेशानुसार विभाग को देंगे।

(ख) प्राचार्य योगदान के समय आरक्षण एवं योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्रों की जाँच कर लेंगे तथा किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर विभाग को सूचित करेंगे। आरक्षण का लाभ केवल बिहार के मूल निवासी को ही देय होगा।

4. नियुक्ति संबंधी शर्ते :–

(क) समय–समय पर इनके कार्य एवं आचरण की समीक्षा की जायेगी, जिसे असंतोषप्रद पाये जाने की स्थिति में समय से पूर्व भी कार्य से मुक्त किया जा सकेगा।

(ख) प्राचार्य योगदान के समय एक सौ रूपये के नन जूडिसीयल/एडहेसिव स्टाम्प पर सम्बन्धित स्टेटिस्टियन से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुबंध संबंधी विहित प्रपत्र में अनुबंध हस्ताक्षरित करा लेंगे तथा योगदान के समय शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों की जाँच कर लेगें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

9/01/16

(शेखर चन्द्र वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

D/R.n.k. sinha sir/Adhisuchna

ज्ञापांक :–17/ए 3–15/2014 – 68(17) पटना, दिनांक– 29/1/2016

प्रतिलिपि :–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–महालेखाकार (ले0एवं ह0) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–प्राचार्य/अधीक्षक, सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल एवं सम्बन्धित स्टेटिस्टियन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–माननीय मंत्री स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य (श्री वर्मा)/उप निदेशक (चिकित्सा शिक्षा)/निदेशक प्रमुख(प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/विशेष कार्य पदाधिकारी, (प्रभारी प्रशाखा–17) स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–प्रशाखा पदाधिकारी, 1 एवं 17 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

29/01/16

सरकार के संयुक्त सचिव।

D/R.n.k. sinha sir/Adhisuchna